

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बी-5/2/ई-अनुज्ञा/2018/पार्ट-1/1030

भोपाल, दिनांक 29/06/2018

—: आदेश :-

1/ म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड अन्तर्गत प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में विभिन्न कार्य योजना जैसे: ई-(मंडी) अनुज्ञा पत्र मॉड्यूल के ऑनलाईन क्रियान्वयन एवं ई-मंडी गतिविधि मॉड्यूल के पायलेट संचालन, ई-नेम तथा एगमार्क नेट मुख्यमंत्री समृद्धि योजना, विभिन्न फसलो के उर्पाजन एवं भावांतर आदि योजनाओ के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कृषि उपज मंडी समितियो/आंचलिक कार्यालयों में उनके नाम के सम्मुख दर्शित संख्या के आधार पर मैनपावर (डाटा एंट्री ऑपरेटर) की सेवा ठेके पर ली जाने संबंधी बोर्ड प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया गया है :-

क.	स्थापना/कार्यलय का नाम	अधिकतम डाटा एंट्री ऑपरेटरो की संख्या
1	'अ' वर्ग की मंडी के लिये	05
2.	'ब' वर्ग की मंडी के लिये	04
3.	'स' वर्ग की मंडी के लिये	03
4.	'द' वर्ग की मंडी के लिये	02
5.	मंडी बोर्ड के प्रत्येक आंचलिक कार्यालयो के लिये	02

2/ उपरोक्तानुसार मानव संसाधन डाटा एंट्री ऑपरेटरो की सेवा ठेके पर लेने हेतु म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल द्वारा पूर्व से भावांतर भुगतान योजना एवं अन्य कार्य के लिये निम्नानुसार तीन ऐजेन्सियो को चयनित कर 03 वर्ष के लिये अनुबंधित कर उनके नाम के सम्मुख दर्शित आवंटित संभाग एवं संभाग अंतर्गत कृषि उपज मंडी समितियो में मैनपावर (डाटा एंट्री ऑपरेटरो) की सेवा ठेके पर उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत किये गये है :-

क	ऐजेन्सी/संस्था का नाम	संभाग का नाम
1	मेसर्स थर्ड आई सिक्वोरिटी सर्विसेस प्रा.लि. इंदौर (म. प्र.)	1. उज्जैन 2. जबलपुर 3. सागर
2.	मेसर्स प्राइमवन वर्क फोर्स प्रा.लि. भोपाल	1. इंदौर 2. ग्वालियर 3. रीवा
3.	मेसर्स कृष्णा सिक्वोरिटी एंड लेबर सर्विसेस भोपाल	1. भोपाल

*Handwritten signature and date*  
25/6

3/ उल्लेखित अन्य योजनाओ एवं कार्यों के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार शर्तों एवं मापदण्ड, अनुसार अधिकृत तीनो एजेन्सियों से उपर कडिका-01 में दर्शायी गई संख्या के आधार पर म.प्र.श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित उच्च कुशल दर पर पारिश्रमिक, पूर्व से नियत अनुसार सेवा प्रभार तथा नियमानुसार जी.एस.टी./सी.एस.टी. आदि का भुगतान के तहत, दिनांक 01.07.2018 से मानव संसाधन (डाटा एंट्री ऑपरेटर) की सेवा ठेके पर लेने का निर्णय लिया जाता है :-

1-इन तीनो अनुबंधित एजेन्सियों को, प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में उल्लेखित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु ठेके पर लिये गये मानव संसाधन (डाटा एंट्री ऑपरेटर) के पारिश्रमिक, सेवा प्रभार तथा जी.एस.टी./सी.एस.टी. आदि का भुगतान, संबंधित कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा स्वयं ही अपनी मण्डी निधि (कान्टीजेन्सी फण्ड) से वहन किया जावेगा।

2-इसके लिये संबंधित सभी कृषि उपज मंडी समितियां द्वारा संबंधित एजेन्सियों से ठेके पर लिये गये डाटा एंट्री ऑपरेटरो की संख्या के आधार पर, उनका पारिश्रमिक, सेवा प्रभार तथा जी.एस.टी./सी.एस.टी. आदि का भुगतान हेतु छह माह की एक मुस्त अग्रिम राशि मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल की वित्त शाखा में जमा कराई जावेगी। जिसकी मण्डीयों से वसूली एवं मंडीवार लेखा, वित्त शाखा द्वारा रखा जावेगा।

3-प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में उल्लेखित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु अनुबंधित संबंधित तीनों संस्थाओ से ठेके पर लिये गये मानव संसाधन (डाटा एंट्री ऑपरेटर) की मासिक उपस्थिति, पूर्वानुसार कृषि उपज मंडी समितियों के सचिवों द्वारा सीधे पत्र क्रमांक दिनांक के माध्यम से संबंधित एजेन्सियों को उपलब्ध कराई जावेगी एवं सूचनार्थ प्रतिलिपि मण्डी बोर्ड आंचलिक कार्यालयो/मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल को भेजेगी।

4- जिन मंडी समितियों को उल्लेखित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु उल्लेखित श्रेणी के आधार पर अधिकतम संख्या से कम मानव संसाधन (डाटा एंट्री ऑपरेटर) रखने की आवश्यकता है तो मंडी समिति अपने स्तर पर निर्णय लेकर कम डाटा एंट्री ऑपरेटर से कार्य की पूर्ति कर सकेगी एवं जिन मंडी समितियों को उल्लेखित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित श्रेणी की संख्या के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटरो की सेवा ठेके पर लिये जाने के अलावा और अतिरिक्त डाटा एंट्री ऑपरेटरो की आवश्यकता प्रतीत होगी वह अपनी अभिलेखीय आधार पर औचित्यता दर्शाते हुये प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल से अनुमति प्राप्त कर संबंधित अनुबंधित एजेन्सी से मानव संसाधन (डाटा एंट्री ऑपरेटर) की सेवा ठेके पर ले सकेगी। मंडियों से प्राप्त उक्त प्रस्ताव पर परिक्षण एवं अभिमत हेतु अपर संचालक (कार्मिक), अपर संचालक (वित्त) तथा अपर संचालक (नियमन) की समिति गठित की जाती है, जो कि प्राप्त प्रस्ताव का परिक्षण कर प्रबंध संचालक को अनुशंसा भेजेगी।

किन्तु इसके लिए सिद्धांतः अतिरिक्त डाटाएन्ट्री ऑपरेटर की सहमति इस शर्त पर होगी कि मंडी सचिव को इस बात की पूर्ण संतुष्टि करनी होगी कि अतिरिक्त डाटाएन्ट्री ऑपरेटर के लायक कार्य है तथा उनके द्वारा संपादित कार्य की लागबुक संधारित करनी होगी। उक्त अतिरिक्त संख्या का अनुमोदन मंडी समिति से भी कराना होगा। यदि भविष्य में या किसी भी समय यह पाया जाता है कि, रखे गये अतिरिक्त डाटाएन्ट्री ऑपरेटर का कार्य पर्याप्त अथवा संतोषप्रद नहीं है तो उक्त डाटाएन्ट्री ऑपरेटर को देय राशि की वसूली, संबंधित सचिव से की जावेगी।


5-उल्लेखित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु अनुबंधित ऐजेन्सीयो से ठेके पर लिये जाने वाले मानव संसाधन (डाटा एंट्री ऑपरेटरो) की सेवा अवधि 11 माह की होगी, तत्पश्चात् उनकी सेवा हटा दी जावेगी।

6-जिन मण्डी समितियों की उल्लेखित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु डाटा एंट्री ऑपरेटरो की सेवा ठेके पर लेने एवं उनके व्यय भुगतान हेतु आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हैं। ऐसी मण्डी समितियों, मण्डी समिति में प्रस्ताव पास कराकर मण्डी की आय व्यय का ब्यौरा एवं उनकी औचित्यता सहित जानकारी उपलब्ध कराते हुये इस कार्य हेतु मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल की स्वीकृति, वित्त शाखा से अनुदान प्राप्ति की कार्यवाही कर सकती हैं।

7- मंडी बोर्ड के आंचलिक कार्यालयो एवं मुख्यालय भोपाल में उपलब्ध कराये गये मैनपॉवर (डाटा एंट्री ऑपरेटर) का म.प्र.श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित उच्च कुशल दर पर पारिश्रमिक, पूर्व से नियत अनुसार सेवा प्रभार तथा नियमानुसार जी.एस.टी./सी.एस.टी. आदि का भुगतान मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल द्वारा कन्टीजेन्सी फण्ड से वहन किया जावेगा।

8- सचिव यह सुनिश्चित करे कि उल्लेखित ठेके पर रखे गये किसी भी मैनपॉवर (डाटा एंट्री ऑपरेटर) को ओवर टाईम का भुगतान नहीं किया जावेगा तथा ओवर टाईम की उपस्थिति संबंधित ऐजेन्सी को उपलब्ध नहीं कराई जावे।

अतः उपरोक्त उल्लेखित निर्देशो का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

  
(फैजल अहमद किदवाई)  
प्रबंध संचालक


म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 29/06/2018

क्रमांक/बी-5/2/ई-अनुज्ञा/2018/पार्ट-1/1031

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
2. अपर संचालक/संयुक्त संचालक (समस्त) मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
3. संयुक्त संचालक/उप संचालक मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय .....(समस्त)
4. अध्यक्ष/सचिव कृषि उपज मण्डी समिति.....जिला.....(समस्त)
5. लेखाधिकारी (लेखा/आडिट/पेंशन) मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
6. अधिकृत ऐजेन्सी.....की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वे माह जुलाई 2018 से निर्धारित संख्या अनुसार ही मंडियों से डाटाएंट्री ऑपरेटरो की उपस्थिति प्राप्त कर अपने देयकों के साथ मंडी बोर्ड मुख्यालय को प्रस्तुत करें, अतिरिक्त एवं अधिक तथा ओवर टाइम ड्यूटी के डाटाएंट्री ऑपरेटरो का पारिश्रमिक भुगतान नहीं किया जावेगा।
7. आदेश नस्ती/शाखा.....(समस्त) मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

  
प्रबंध संचालक 29/6  
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल